पत्र सं0–विधि–4(1)/परिपत्र भाग–4/2018–19 /379 /1819056 /वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक– 31 अक्टूबर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– वार्षिक विवरणी (रूप पत्र–52, 52ए, 52बी0) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाया जाना।

परिपत्र संख्या–विधि–4(1)/परिपत्र भाग–4/2018–19/374/189055/वाणिज्य कर, दिनांक–29.10.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष–2017–18 (01.04.2017 से 30.06.2017) वैट अवधि से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी (रूप पत्र–52, 52ए, 52बी0) दाखिल किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक–31.12.2018 तक बढ़ायी गयी है।

माल एवं सेवा कर अधिनियम के सेक्शन–174 की इन्ट्री 54 में वर्णित वस्तुओं के लिए दिनांक–01.07.2017 के बाद भी वैट अधिनियम प्रभावी रहेगा। ऐसे व्यापारी जो इन्ट्री 54 में वर्णित वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनको भी वित्तीय वष 2017–18 का वार्षिक कर विवरणी (रूप पत्र–52, 52ए, 52बी0) दिनांक–31.10.2018 तक दाखिल करना है। अतः ऐसे व्यापारियों के लिए भी वित्तीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अन्तिम तिथि दिनांक–31.12.2018 तक बढ़ायी जाती है।

परिपत्र संख्या–विधि–4(1)/परिपत्र भाग–4/2018–19/374/189055/ वाणिज्य कर, दिनांक–29.10.2018 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

31/x/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।